

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 394 सन 2019

अनवान :-

1. सचिन पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. अंकिता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर
3. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा रावतसर तहसील रावतसर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री भरतसिंह वैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 11/9/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 44/37 के प०न० 220/394(16) किला न० 22/2 की 0.1260, 23 ता 25/0.7590 हैव प०न० 221/394(17) किला न० 19, 21, 22/0.759 हैव, प०न० 221/395(24) किला न० 0/1 की 0.0510 हैव गै०मु०खाला 1/1 की 0.2270 हैव 2/1 की 0.2280, प०न० 220/395(25) किला न० 0/1 की 0.1010 हैव 2/1 की 0.2280, 3/14 की 0.2280, 4/1 की 0.2280, 5/1 की 0.2270, 7 ता 8 /0.5060 हैव प०न० 218/395(27) किला न० 14, 15/0.5060, कुल 4.170 हैव भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पडदादा परसाराम पुत्र रतना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पडदादा परसाराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र भादरराम वादी के दादा के नाम से दर्ज हुई है जिनके देहान्त होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भादरराम पुत्र परसा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 2 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के पिता के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पडदादा परसाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिनका देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 44/37 के प0न0 220/394(16) किला न0 22/2 की 0.1260, 23 ता 25/0.7590 हैव प0न0 221/394(17) किला न0 19, 21, 22/0.759 हैव, प0न0 221/395(24) किला न0 0/1 की 0.0510 हैव गै0मु0खाला 1/1 की 0.2270 हैव 2/1 की 0.2280, प0न0 220/395(25) किला न0 0/1 की 0.1010 हैव 2/1 की 0.2280, 3/14 की 0.2280, 4/1 की 0.2280, 5/1 की 0.2270 .. 7 ता 8 /0.5060 हैव प0न0 218/395(27) किला न0 14, 15/0.5060, कुल 4.170 हैव भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूगि पूर्व में वादी के पडदादा परसाराम पुत्र रतना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पडदादा परसाराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र भादराम वादी के दादा के नाम से दर्ज हुई है जिनके देहान्त होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 44/37 के प0न0 220/394(16) किला न0 22/2 की 0.1260, 23 ता 25/0.7590 हैव प0न0 221/394(17) किला न0 19, 21, 22/0.759 हैव, प0न0 221/395(24) किला न0 0/1 की 0.0510 हैव गै0मु0खाला 1/1 की 0.2270 हैव 2/1 की 0.2280, प0न0 220/395(25) किला न0 0/1 की 0.1010 हैव 2/1 की 0.2280, 3/14 की 0.2280, 4/1 की 0.2280, 5/1 की 0.2270 .. 7 ता 8 /0.5060 हैव प0न0 218/395(27) किला न0 14, 15/0.5060, कुल 4.170 हैव भूमि में 1/2

हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा भादरराम व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के पडदादा परसाराम के नाम से दर्ज थी वादी के पडदादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा परसाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भादरराम के नाम से दर्ज हुई है जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकवाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 44/37 के प0न0 220/394(16) किला न0 22/2 की 0.1260, 23 ता 25/0.7590 हैक प0न0 221/394(17) किला न0 19 ,21 ,22/0.759 हैक , प0न0 221/395(24) किला न0 0/1 की 0.0510 हैक गै0मु0खाला 1/1 की 0.2270 हैक 2/1 की 0.2280 , प0न0 220/395(25) किला न0 0/1 की 0.1010 हैक 2/1 की 0.2280 , 3/14 की 0.2280 , 4/1 की 0.2280 ,5/1 की 0.2270 ,, 7 ता 8 /0.5060 हैक प0न0 218/395(27) किला न0 14 ,15/0.5060 , कुल 4.170 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों बहिय के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.9.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जादा दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित ( आर.ए.एस )

अनवान :-

1. सचिन पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजेन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. अंकिता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर
3. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा रावतसर तहसील रावतसर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 394 सन 2019 निर्णय दिनांक- 11.9.19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 44/37 के प0न0 220/394(16) किला न0 22/2 की 0.1260, 23 ता 25/0.7590 हैव प0न0 221/394(17) किला न0 19, 21, 22/0.759 हैव, प0न0 221/395(24) किला न0 0/1 की 0.0510 हैव गै0मु0खाला 1/1 की 0.2270 हैव 2/1 की 0.2280, प0न0 220/395(25) किला न0 0/1 की 0.1010 हैव 2/1 की 0.2280, 3/1\* की 0.2280, 4/1 की 0.2280, 5/1 की 0.2270, 7 ता 8 /0.5060 हैव प0न0 218/395(27) किला न0 14, 15/0.5060, कुल 4.170 हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.9.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )